मुन्ना - प्रभाती देवी पु. नं. 64/24

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.10.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट....ख़ारिज.... की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय रारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं ... अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 64/2024

1 मूला पुत्र ईशरा उम्र 35 साल जाति बलाई निवासी ग्राम गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 प्रभाती देवी पत्नी शिवपाल जाति बालाई निवासिनी ग्राम गोरिया तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 ओमप्रकाश पुत्र ईशरा
3 रिछपाल पुत्र गोविन्दा
4 जीवन पुत्र गोविन्दा
5 सुरेश पुत्र गोविन्दा
6 छोगालाल पुत्र कालू
7 पन्नालाल पुत्र कालू
8 प्रहलाद पुत्र कालू
9 डालूराम पुत्र गोपी
10 प्रभात पुत्र ईशरा
11 महावीर पुत्र ईशरा
12 मोहनी पत्नी ईशरा
13 राधा पत्नी गोपी
14 श्रवण पुत्र ईशरा
15 सुरेश पुत्र ईशरा
समस्त जाति बलाई निवासीगण ग्राम गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
16 उप पंजीयक पलसाना।
17 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

18 गंगा पत्नी गोविन्दा जाति निवासी ग्राम गोरियां तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर दावा संख्या 33/2023 उनवानी प्रभाती देवी बनाम ओमप्रकाश आदि दि. 27.03.2024

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट

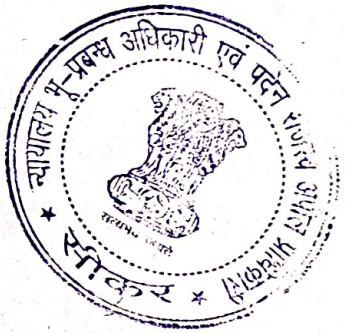

—निर्णय—

दिनांकः— 25.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर मु. सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 33/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.03.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 16, 17, 18, 19, 20, 21, वाके ग्राम गोरियां का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना जवाब दावा बंद कर अपीलांट अथवा वादी से साक्ष्य प्राप्त किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत चल रही थी। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना किये बिना जवाब दावा बंद कर अपीलांट अथवा वादी से साक्ष्य प्राप्त किये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की है। स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.11.2024 को उपस्थिति देवें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेव [illegible])
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व-अपील प्राधिकारी,
सीकर